ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्या रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री राजीव मेहता	23.1.2011 से 22.1.2016
2	श्रीमति सावित्रि वर्मा	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश शर्मा	1.4.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत हिमरी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	9 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.27
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	24.01
3	11	निर्धारित अवधि में राशि को व्यय न करने पर वापिस करना	17.78

4	12	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	6.86
5	13	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.57
6	14	निर्माण सामग्री से Voids की कटौती न करना	0.25

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिंह चौहान व श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 3.12.2016 से 7.12.2016 तक किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 2/2014, 8/2014, 11/2015 व 5/2013 , 12/2014, 10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 05, दिनांक 7.12.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हिमरी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति: -

ग्राम पंचायत हिमरी की अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की रोकड़ बहियों/अभिलेख पर आधारित वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत **"परिशिष्ट-क"** अनुसार निम्न प्रकार से थी।

स्वतः स्त्रोत एवं विविध अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	1382844.75	1145617	2528461.75	1397263	1131198.75
2014-15	1131198.75	1499082	2630280.75	1197037	1433243.75
2015-16	1433243.75	2065260	3498503.75	1661541	1836962.75

मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	87	35105	35192	35030	162
2014-15	162	6	168	0	168
2015-16	168	3	171	171	0

13वां वित्त आयोग

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	62509	121869	184378	52000	132378
2014-15	132378	124555	256933	0	256933
2015-16	256933	10409	267342	0	267342

वॉटर शैड

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	1683792	915452	2599244	337530	2261714
2014-15	2261714	90243	2351957	178040	2173917
2015-16	2173917	50151	2224068	2210596	13472

वॉटर शैड (ग्राम कोष)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	161173	27725	188898	0	188898
2014-15	188898	24466	213364	0	213364
2015-16	213364	49160	262524	0	262524

ग्राम पंचायत भवन

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	18014	727	18741	0	18741
2014-15	18741	757	19498	0	19498
2015-16	19498	790	20288	0	20288

दिनांक 31.3.2016 को कुल योग 2400588.75

नोट:- **(i)** सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व-स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व-स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग- अलग नहीं किया जा सकता।

(ii) रोकड़ बहियों में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं । अतः रोकड़ बहियों में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेषों को ही वित्तीय स्थिति के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष **(**Opening Balance) लिए गए हैं।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹52,239/- का अन्तर पाया गया। हालांकि पंचायत द्वारा इस अन्तर का अंकेक्षण के दौरान ही **"परिशिष्ट-ग"** के अनुसार समाधान कर दिया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर था। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए

क्रम सं०	विवरण		राशि (₹)
1	रोकड़ बहियों पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष **(परिशिष्ट-क)**		2400588.75
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		2348349.75
3	अन्तर		52239.00
(ख)	**अन्तर का कारण:-**		
1	रोकड़ बहियों पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		2400588.75
	(-) सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि	-379	-52239
	(-) सामान्य निधि रोकड़ बही:- चैक संख्या 789755 , दिनांक 25.2.2016 बैंक में जमा किया गया परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक इसे खाते में जमा नहीं किया गया। इस चैक को बैंक द्वारा दिनांक 8.4.2016 को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया गया।	-56000	
	(-) सामान्य निधि रोकड़ बही:- चैक संख्या 828119 , दिनांक 26.3.2016 जारी किया गया परन्तु इसे बैंक से दिनांक 31.3.2016 तक नहीं भुनाया किया गया। इस चैक को बैंक से दिनांक 8.4.2016 को भुनाया गया।	4140	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष		2348349.75

6 निवेश:- सचिव ग्राम पंचायत हिमरी द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता- 'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता-'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत हिमरी में 6 रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 7 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण

दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के तकनीकी अभिलेख का सही प्रकार से रख-रखाव न करना-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , आरेखण , प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका , कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख-रखाव नहीं किया गया था। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ₹1.50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है तथा ₹1.50 लाख से कम के निर्माण कार्यों का अभिलेख पंचायत में व्यवस्थित/सही प्रकार से नहीं रखा गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त तकनीकी अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमवद्ध तरीके से किया जाये तथा ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 (क) पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.27 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित "**परिशिष्ट-'घ"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹26,985/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये। **(ख)** सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-घ"** के साथ संलग्न/प्रस्तुत प्रमाण पर सूचित किया गया कि कि ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई की जानकारी के अनुसार पंचायत क्षेत्र में पाँच मोबाइल टावर स्थापित हैं। परन्तु यह टावर कब-2 स्थापित हुये व दिनांक 31.3.2016 तक या वर्तमान तक कितनी राशि स्थापना शुल्क व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य शेष थी की पूर्ण जानकारी/आंकड़े पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर शीघ्र ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर वसूली योग्य राशि की संबन्धित मोबाइल कम्पनियों से वसूली कर ली जाएगी तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा । अतः अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त अमल में लाई जाये।

10 अनुदान ₹24.01 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की कुल ₹24,00,588.75 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि खाता-'क" व खाता-'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि

के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 ₹17.78 लाख की राशि को निर्धारित अवधि में व्यय न करने पर वापिस करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 10/2015 में वॉटर शेड निधि (रोकड़ बही पृष्ठ-62) से वाउचर संख्या: 31, दिनांक 2.10.2015 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई को ₹17,77,736/- की राशि (चैक संख्या 310975, दिनांक 25.9.2015) वापिस की गयी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 , दिनांक 6.12.2016 की अनुपालना में सचिव , ग्राम पंचायत ने मौखिक तौर पर व पत्र संख्या: शून्य , दिनांक 7.12.2016 द्वारा सूचित किया कि "जलागम विकास परियोजना निधि" (Water Shed Fund) में अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व वॉटर टैंक , बावड़ियाँ, छत जल संग्रहण टैंक , तालाब , चैक डैम , कुहल , क्रेट वाल इत्यादि के निर्माण हेतु समय-2 पर ₹14,42,953/- की राशि प्राप्त हुई। परन्तु पंचायत को भूमि/राजस्व अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त कार्यों का गत 10 वर्षों से निष्पादन न हो सका। परिणामस्वरूप खण्ड विकास अधिकारी, जुब्बल-कोटखाई के पत्र संख्या: जे०के०बी०आई०डबल्यू०डी०पी०/2014-3374 , दिनांक 28.7.2015 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या: 4 , दिनांक 25.9.2015 व 3 , दिनांक 2.10.2015 द्वारा उक्त राशि को ब्याज राशि ₹3,34,783/- सहित कुल ₹17,77,736/- की राशि वापिस की गयी। प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि व इसके राजस्व अभिलेख की उपलब्धता से संबन्धित औपचारिकतायें अनुदान प्राप्त करने से पहले पूर्ण की जानी अपेक्षित थीं। अतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यों की योजना विफल होने के कारण आम जनमानस को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित छानबीन उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार सरकारी अनुदान वापिस न करना पड़े।

12 ₹6.86 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 , 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि केवल स्थायी भण्डार रजिस्टर का निर्माण किया गया है जबकि अस्थाई भण्डार रजिस्टर का व सामग्री स्टॉक रजिस्टर जैसे सीमेंट , रेत, बजरी, स्टील इत्यादि का निर्माण नहीं किया गया है। उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय-2 पर अस्थाई भण्डार/निर्माण सामग्री का मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया , कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी , जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखो रूपये की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹6,85,972/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट-'ङ"** में दिया गया है, का क्रय किया था परन्तु इन्हें भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

13 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹5.57 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औप चारिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-'च"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹5,56,570/- के स्टोर/स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अत: स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 निर्माण सामग्री से ₹0.25 लाख के Voids की कटौती न करना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-'छ" पर** उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹25,195/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

15 ₹0.08 लाख के वेतन का ग्राम पंचायत के चौकीदार को भुगतान बारे:-

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 6 2 के अनुसार चयनित माह 10/2015 में ग्राम पंचायत के चौकीदार को निम्न विवरणानुसार ₹8,000/- के वेतन का भुगतान किया गया , वेतन की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था। अतः वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि आगामी अंकेक्षण में भुगतान के सत्यता की जांच की जा सके।

क्रम सं०	विवरण	वेतन की अवधि	सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)
1	वेतन पंचायत चौकीदार	1.6.15 से 30.9.15 (4 माह)	59	7400
2	भत्ता पंचायत चौकीदार	1.6.15 से 30.9.15 (4 माह)	59	600

कुल 8000

16 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्रम संख्या	रजिस्टर/ अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
3	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29(1)
4	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	बजट प्राक्कलन	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर (केवल स्थायी स्टॉक रजिस्टर रखा था)	25 व 26	72 (1) ए० एवं बी०
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
12	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
13	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

17 विविध:-

(क) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1,000/- से अधिक का

भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बीच-2 में इस प्रकार का भुगतान नकद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीद/पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नकद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये। भविष्य में उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

19 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 54/2016–खण्ड–1–1846–1849 दिनाँकः 25.03.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत हिमरी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.